प्रेस नोट   *दिनांक 11.11.2025*

मिशन शक्ति" अभियान फेज-05 के अन्तर्गत नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के दृष्टिगत महिलाओं/बालिकाओं के साथ किये गये अपराध के विरुद्ध शून्य सहनशीलता(Zero Tolerance) की नीति के तहत जनपद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान एंव मिशन शक्ति 5.0 के अन्तर्गत महिला अपराध में शून्य सहनशीलता के क्रम मे तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण मे क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अभय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना मधुबन पुलिस द्वारा दिनाक 11.11.2025 देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर राजू चौक के पास से मु0अ0सं0 299/2025 धारा 137(2)/87 बी.एन.एस थाना मधुबन जनपद मऊ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त बृजेश उर्फ डब्लू पुत्र राधेश्याम यादव साकिन विशुनपुर देवारा पो0 परसिया देवारा थाना बरहज जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर चालान न्यायलय किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. बृजेश उर्फ डब्लू पुत्र राधेश्याम यादव साकिन विशुनपुर देवारा पो0 परसिया देवारा थाना बरहज जनपद देवरिया

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुरेश कुमार थाना मधुबन जनपद मऊ।
2. हे0का0 दिनेश पाल थाना मधुबन जनपद मऊ।
3. हे0का0 ओमप्रकाश थाना मधुबन जनपद मऊ।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 03 अभियुक्तों को अजीवन कारावास व ₹25,000 के अर्थदंड से हुए दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायधीश जनपद मऊ द्वारा दिनांक 11-11-2025 को मु0अ0सं0 195/2022 धारा 34, 201, 302 भादवी रानीपुर में दोषसिद्ध अभियुक्तों मनोज राजभर पुत्र रामवृक्ष

राजभर, रामवृक्ष राजभर पुत्र स्व.झरफल्ली राजजभर, इसरावती देवी पत्नी रामवृक्ष राजभर निवासीगण निवासी घोड़ाडीह (काझा) थाना रानीपुर को कारित अपराध के लिए अजीवन कारावास कारावास की सजा एवं ₹25000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया,।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह (A.D.G.C), प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री राजित राम यादव ,तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अनुराग शुक्ला थाना रानीपुर का सराहनीय योगदान रहा।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि की सजा एवं ₹2500 के अर्थदंड से हुया दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा दिनांक 11-11-2025 को मु0अ0सं0 168/2007 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना घोसी में दोषसिद्ध रामजन्म यादव पुत्र स्व० केदार यादव नि० कुचहरा थाना घोसी जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए जेल में बिताई गयी अवधि की सजा एवं ₹2000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 07 दिवस का साधारण कारावास से दंडित किया जायेगा।